

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-16/02/2014

संख्या-05/स्था0 (डी0टी0ओ0)30/2013 (छाया संचिका)-934...../ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 1799 दिनांक- 8.2.2014 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु परिवहन विभाग में सेवा प्राप्त बि0 प्र0 से0 के निम्नलिखित 4 पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तंभ-5 में अंकित जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है-

क्र0 सं0	पदाधिकारी नाम/कोटि क्रमांक	का	गृह जिला	पूर्व पदस्थापन स्थल	नव पदस्थापन का पद एवं जिला
1	2	3	4	5	5
1	श्री राजकुमार, 429/11		पूर्णिमा	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, किशनगंज	जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम घम्पारण, बेतिया
2	डॉ0 जवाहर लाल, 545/11		म्हबुनी	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, समस्तीपुर	जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर
3	मो0 अफजालुर रहमान, 593/11		नालन्दा	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगूसराय	जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी
4	श्री किशोरी चौधरी, 642/11		नवादा	अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी, गया।	जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्ति उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वह अपने पूर्व पदस्थापन वाले पद का पदभार त्याग करते हुए अविलम्ब नवपदस्थापन वाले पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

2-0-16/12/14
प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक- 05/स्था0 (डी0टी0ओ0) 30/2013 (छाया सचिका)-

दिनांक-

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रनालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ पॉंच (5) अतिरिक्त प्रतियों (सी0डी0 सहित) प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक- 05/स्था0 (डी0टी0ओ0)30/2013 (छाया सचिका)-

दिनांक-

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त, मुजफ्फरपुर/भागलपुर/गया/जिला पदाधिकारी, बेतिया/भागलपुर/मोतिहारी/औरंगाबाद/सभी संबंधित संयुक्त आयुक्त-सह - सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/उप सचिव, वित्त (व्यक्तिक दावा कोषांग) विभाग, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित मोटरायन निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक सभी नव पदस्थापित पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, कम्प्युटर कोषांग, परिवहन विभाग, पटना/परिवहन विभाग के सभी प्रशाखा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापांक- 05/स्था0 (डी0टी0ओ0)30/2013 (छाया सचिका)- 934 दिनांक- 16/02/2014

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना।